न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

<u>निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस</u>

प्रकरण संख्या **07/2017** आवंटन निरस्ती

सरकार जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— **प्रार्थी**

बनाम

श्री केला पिता वेणा जाट, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर

—— **विपक्षी**

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970</u>

उपस्थितः 1. श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार
2. श्री विजय कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता विपक्षी

<u>निर्णय</u>

दिनांकः— 06.08.2018

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी तहसीलदार भू.अ. मावली द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम खरताणा पटवार हल्का खरताणा तहसील मावली की आराजी संख्या 2165/1402 रकबा 0.05 बिघा श्री केला पिता वेणा जाट निवासी खरताणा के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड हैं। उक्त भूमि संवत् 2030 भू प्रबन्ध सेटलमेंट के खाता संख्या 431 से गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड हैं। मौके पर उक्त आराजीयात राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में स्थित होकर पुरानी चारदिवारी के अन्दर स्थित होकर मौके पर विद्यालय भवन विस्तार में नये कमरो का निर्माण में पट्टीपोश निर्माण किया हुआ हैं। मौके पर गैर खातेदार का कब्जा कभी रहा ही नहीं और नाही वर्तमान में हैं। राजस्व अभिलेख खसरा संवत् 2032 से 2073 अनुसार आवंटी की कोई जिन्स दर्ज रेकार्ड नहीं हैं। अतः उक्त आवंटित भूमि को आवंटन से खारीज किया जाकर राजस्व अभिलेख में पुनः बिलानाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। जिनके द्वारा दिनांक 10.07.18 को उपस्थित होकर प्रकरण में नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया गया।

प्रकरण में उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वर्तमान में उक्त वादग्रस्त आराजीयात राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खरसाण के परिसर में स्थित होकर पुरानी चार दिवारी के अन्दर हैं। मौके पर विद्यालय भवन विस्तार में नये कमरो का निर्माण हो रहा हैं। संलग्न खसर गिरदावरी संवत् 2032 से संवत् 2073 तक उक्त आराजी में कोई जिन्स भी दर्ज नहीं हैं। यानिकी आवंटी द्वारा कभी भी कोई काश्त नहीं की गई। नाही आवंटी का इस भूमि पर कभी कब्जा रहा हैं। ग्राम पंचायत खरसाण द्वारा भी उक्त वादग्रस्त भूमि को विद्यालय के नाम दर्ज करवाये जाने की सिफारीश की गई हैं।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाकर मौजा खरताणा के आराजी संख्या 2165/1402 रकबा 0.05 बिघा गैर खातेदार श्री केला पिता वेणा जाट निवासी खरताणा के नाम से आवंटन निरस्ती की जाकर भूमि को पुनः बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तहसीलदार मावली को निर्णय की प्रति प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि को राजकीय तहवील में ली जावें एवं राजस्व अभिलेख में बिलानाम सरकार दर्ज की जावें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार मावली एवं उपखण्ड अधिकारी मावली को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर